

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक २८ अगस्त, 2019

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-648/मेटेन/19 दिनांक 21.02.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन रु 1055.20 लाख सम्बन्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-3493/सोलह-1-2014-9(बजट-11)/2011 दिनांक 28.11.2014 द्वारा पुनरीक्षित लागत रु 880.25 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पूर्व पुनरीक्षित लागत रु 880.25 लाख के स्थान पर रु 1031.38 लाख+(जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देव) की लागत को पुनः पुनरीक्षित किया गया है, अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु रु 1031.38 लाख (रुपये दस करोड़ एकतीस लाख अड़तीझ हजार मात्र)+(जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देव) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अंतर की अवशेष धनराशि (रु 151.13 लाख में से 5 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अनुदान संख्या-47 में से रु 79.66 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु 19.90 लाख अर्थात कुल रु 99.56 लाख (रु निन्यान्दे लाख उच्चन हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी

176/R/विकार्य/मद में किया जायेगा।

- (4) लेबर सेस की भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

13-8-19
100% done

वह शासनादेश हस्तपुस्तिका जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इस विवरादेश सम्बन्धित नियमित वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (6) कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित नियंत्रक, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- (9) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, अविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्षियरेस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दिविरावृति (इफ्लीकेसी) को रोकने की इच्छि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आचारित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी/जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्याय स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।
- (14) प्रायोजना में प्रस्तावित जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- (15) प्रायोजनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अर्थारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (16) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया जाये है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
- (17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेज चार्ज लिया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. स्वीकृत धनराशि में से रु 79.66 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीषक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रु 19.90 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीषक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-693/दस-2019 दिनांक 31 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय:

(डॉ सरोज कुमार)

विशेष सचिव

संख्या:-2163/सोलह-1-2019-9(बजट-11)/2011 तदृदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवारी हेतु प्राप्तिः-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, ३०प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, ३०प्र० आवास एवं विकास कार्रवाद, लखनऊ।
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण इकाई-20, कानपुर।
- (7) वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ३०प्र०, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, ३०प्र० शासन।
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकाश), ३०प्र० शासन।
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, ३०प्र० शासन।
- (11) गाँड़ फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.nic.in> से मन्त्रालय की तरफ से ही है।

डॉ. सरोज कुमार

विशेष नियंत्रण

उत्तर प्रदेश कांसन।

कक्ष में,

कुलसंचय,

हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

कालपुर।

एविधिक शिक्षा भवन-1

तिथि: १८ जून, ०७ अगस्त, २०१८

देवय- हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर में कुलपति आवास/सम्पर्क कार्यालय के जिम्मा
हेतु धनराशि अदमुक्त किये जाने के संबंध में

है-

उष्णद्वितीय विश्वविद्यक आपको पश्चात-124/मेट्रेज नं/18 दिनांक 01.06.2018, पश्चात-401/अमुक्तमण्ड^१ पंजीयन भाग-2018 दिनांक 30.10.2018 एवं पश्चात-219/मेट्रेज/३९ दिनांक १३.८. २०१९ के संदर्भ में
मुझे यह कहने वाले नियंत्रण हुआ है कि सम्यक विश्वविद्यालय हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कालपुर में कुलपति आवास/सम्पर्क कार्यालय के नियंत्रण विभागीय स्थान नं० ००१ आवास पर विश्व
परिषद द्वारा प्रेस्ट आवासन रु 218.05 लाख (२१८.०५ लाख) वास्तविकता विश्वविद्यालय के अधिकार पर भेयमानसुल्लादेश (विश्वविद्यालय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासन करते हुए प्रथम कित्त के हाथ में अनुदान संख्या-४७ में
रु 87.00 लाख एवं अनुदान संख्या-५८५५५३ में २२.०० लाख अधीक्त कुल रु 199.०० लाख (रु १९९.०० लाख एवं
करोड़ और लाख मात्र) धनराशि की विश्वविद्यालय के अधीन स्वीकृति पदान करते हैं।

- (1) प्रश्नगत विभाग कार्य को विशिष्टियों तात्काल व गुणावता वाले विषयोंपरी कार्यालयी स्थान/
कुलसंचय, विश्वविद्यालय की होती।
- (2) स्वीकृत विश्वविद्यालय कार्यव्यय हस्तपुस्तिका के छण्ड-५ भाग-१ के प्रक्षेत्र-३६९ एवं के सुनगत
प्राविधिकीय एवं समय-समय पर शासन द्वारा नियंत्रण शासनादेशी के ३ नुस्खा किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत पर्यायमाशी ऐजेंसी कार्यालय में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यव प्रत्येक दशा में इसी
कार्यालय के कार्यालयी स्थान पर किया जायेगा।
- (4) ऐजेंसी की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (5) ऐजेंसी सम्पत्ति प्रश्नगत नियंत्रण कार्य एवं व्यव वित्त समिति द्वारा अकित शर्तोंनियंत्रण का
३ अनुदान सुनिश्चित रहेगा।
- (6) कुलसंचय, हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के कार्यालय से जारीकी भौमा
उपर्योगिता प्रमाण पत्र समयान्तरात शासन की उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (7) अदमुक्त धनराशि में से नियंत्रण कार्य हेतु दो-दो माह और अदायकता के लिये आवासन
धनराशि, कुलसंचय/विभाग नियंत्रक, हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर द्वारा
कोशिश कर कार्यालयी को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयी सम्पत्ति द्वारा

१. यह शासनादेश इत्यकालीन जारी किया गया है उन द्वारा पर इन्ताक्षर की अवधिकता महत्व है।
२. इस शासनादेश में प्रमाणित होने वाले वेब साइट <http://prashantrashtriya.nic.in> से संपर्कित होना चाहीदा है।

प्रैर्व-दी गयो धमरणि । 30 पौरे दी का अभास करने का त्रिपुरा से आया है। यहाँ दी गयी भावावल्ल धनरात्रि काषायगार से आ रित करने दी जाए।

2. स्वेच्छा धनराशि में से रु 87.00 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदृष्टि सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, घेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोट बटलर प्रैट्योरियल विश्वविद्यालय, सामपुर-24-बहुत निर्भाग कार्य रचे रु 22.00 लाख पर होने वाला व्यय अनुदृष्टि संख्या 83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, घेलकूद, कला संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक ठोङ्गा-14-हरकोट बटलर प्रैट्योरियल विश्वविद्यालय कामपुर-24-बहुत निर्भाग कार्य मंद के नामे डाला जाएगा।

१- यह शास्त्रादेश इनेक्टोलिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस राज्यनाडेश की प्रभागिकता वैद संस्कृत <http://bhawanadewa.up.nic.in> से सन्दर्भित है। इसकी

यह आदेश द्वारा (आयोग) अनुभाग, कलानकर द्वारा दिनांक 20/09/2017
2019/231/2019 दिनांक 22.01.2019 में जिहत वा धार्मी वा अंतर्राष्ट्रीयता के द्वारा है।

उद्दीप

ड सदाज कुमार
वीज सचिव

नम्बर 01152504/सौम्य-1/2019-9/बल्ल-01/6/115 उद्दिपनक-

प्रतिक्रिये जिम्मेदारियों को सूचनार्थ एवं विवरण जारीरही है, तोड़ि-

- (1) महालखण्डनगर, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री।
- (2) महालखण्डनगर, आडिट पर्याय, 3090, प्रधानमंत्री।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) विश्व बोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, 3090 आवास एवं विकास विभाग, लखनऊ।
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, 3090 आवास एवं विकास विभाग, निर्माण इकाई C, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 3090, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आयोग) अनुभाग-1, 3090 शाहनगर।
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 3090 शहरनगर।
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 3090 शहरनगर।
- (11) गाड़ी फाइल।

आला ने,

अवधि किशोर,
उप सचिव।

1- यह आदेश इतेक्षणिकली लाई किया गया है, अतः इह पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस आदेश की इमरणिकता वेब साइट <http://shasanachayush.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: २५७ सोलह-१-२०२०-९(बजट-३)/२०१८

प्रेषक,

सुनील कुमार घौड़री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक: २४ जनवरी, 2020

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रुसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-194/अनु०/२०१९ दिनांक 01.07.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के अवशेष निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹ 30.75 लाख एवं राज्यांश के रूप में ₹ 332.50 लाख अर्थात् कुल ₹ 363.25 लाख (रुपये तीन करोड़ लाख पच्चीस हजार) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होंगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्यान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

Chairman: Mawali FC

संमान निर्दिष्ट
कृपया लिया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश को विशिष्टिकरण के साथ लिया जाना चाहिए।

- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (इफ्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (11) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।
- (12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मौलियितों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/कालेज लोकल अथोरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (13) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टेक्स के स्थान पर जी०एस०टी० की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।
- (14) प्रायोजना निर्माण कार्य ए०आई०स०टी०ई० के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (15) स्वीकृत धनराशि का उपयोग सम्यान्तर्गत न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।
3. स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना/सुदृढीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-48/दस-2020 दिनांक 21 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (सुनीता कुमार चौधरी)
 विशेष सचिव,

संख्या:- २५९ /सोलह-१-२०२०-९(बजट-३)/२०१८ तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ३०प्र०, प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार, आडिट प्रथम, ३०प्र०, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, ३०प्र० प्रयागराज।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (8) वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ३०प्र०, कानपुर।
- (9) वित नियंत्रक, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविट्यालय, कानपुर।
- (10) प्रबन्ध निदेशक, ३०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- (11) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य मुख्यालय, कानपुर।
- (12) उच्च शिक्षा अनुभाग-३, ३०प्र० शासन।
- (13) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-११/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
- (14) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-३, ३०प्र० शासन।
- (15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

प्रेषक,

मुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तिथि: दिनांक: २५ मार्च, 2020

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु
धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-323/Maint 'C'/18 दिनांक 25.09.2018 व पत्रांक-554/Maint/19 दिनांक 30.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सन्यक विचारोपरान्त हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु ₹ 392.51 लाख (जी००एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹ 196.51 लाख (रुपये एक करोड़ छियानदे लाख इक्यावन हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास/प्राधिकरण/सक्षम लोकल अर्थारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्षिल्यरेस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो जायेगा,
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्ताप्रुस्तिका के खण्ड-5 अग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 156:51 लाख व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं ₹0 40.00 लाख अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

अवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.uo.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-19/सोलह-1-2020-09(बजट-7)/2011 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, 30प्र०, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, 30प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, 30प्र० आवास विकास परिषद, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 30प्र० शासन।
- (9) वित्त (आय-ट्ययक) अनुभाग-1, 30प्र० शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प्र० शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी संघिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र० शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आन्तरा से,
अवधि किशोर
(अवधि किशोर)
उप संघिव।

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुआग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चीकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का निर्माण करने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्बन्धिक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चीकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत ₹ 0 120.53 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹ 0 120.53 लाख (सूपर्य एक करोड़ बीस लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहृद स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविकों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्षितिजरेस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

1. यह शासनादेश इसेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रभागिकता वैत्र स्टाइल <http://shasenadex.up.gov.in> से सन्धापित की जा सकती है।

CL 1/1

- (4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की घटि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेवर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार अम विभाग को किया जायेगा।
- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही संटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसंचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आइटम श्रेणी के कार्य मर्दों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फँचींचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसंचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 95.53 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आवश्यक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं ₹0 25.00 लाख का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट,

1- यह शासनादेश इसेम्ब्रिनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सन्तापित की जा सकती है।

कला तथा संस्कृति पर फूजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मंद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मुजफ्फरनगर (मूर्ख)
विशेष सचिव

संख्या:-206(1) /सोलह-1-2020-09(बजट-3)/2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, 30प्र0, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, 30प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, 30प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाइ, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 30प्र0 शासन।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प्र0 शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी सचिव, मा० संत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
- (14) गाँड़ फाइल।

आजा से
(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता देव शाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक डिझा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26-मार्च, 2020

विषय- हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटें महिला छात्रावास के भैंस ब्लाक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटें छात्रावास के भैंस ब्लाक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत ₹ 161.58 लाख (पी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹ 161.58 लाख (रुपये एक करोड़ इक्सठ लाख अठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचिह्नों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होंगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एस०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इन्सेक्टोनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेज घार्जे लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मट में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मट में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मटों पर व्यय सुसंगत वित्तीय लियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्जीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से सतुष्ट हो जाएगा।
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 128.48 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-दृश्यक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मट के एवं ₹0 33.10 लाख का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मट के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-दृश्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-व0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(सनीष कुमार चौधरी)
 विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकले जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित भी जा सकती है।

संख्या:-276(1)/सोलह-1-2020-09(बजट-1)/2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुठ्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, 30प्र०, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, 30प्र० समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, 30प्र० समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 30प्र० शासन।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र० शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प्र० शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र० शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आजा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से संतुष्टापित की जा सकती है।

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संवाद में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में
कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक
06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त
हरकोर्ट बट्टलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कक्षा-कक्षों
के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत ₹0.176.07 लाख (जी०एस०टी० सहित) की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹0.176.07 लाख (रुपये
एक करोड़ छिह्नतर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित
शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविकों को आवश्यकतानुसार
स्थानीय विकास प्राप्तिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय
क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य
प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी
संस्थान/कार्यदाती संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेगे कि कार्य निर्धारित
समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाय।
- (4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की हाई सुनिश्चित किया जायेगा कि यह
कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न
वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०१० में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगाम में वर्जित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार
श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश हलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeshi.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

FC
राजीव
21/3/2020

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मट में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मट में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मटों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्बलित फनीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से सनुष्ट हो लेंगे।^o
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय-हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि में से ₹ 0 139.07 लाख के व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोट बटलर प्राविधिक-विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मट के एवं ₹ 0 37.00 लाख के व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मट के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या -ई-1/2019/वी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रक्रोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

अवदीय,

(संगीत कुमार चौधरी)

विशेष सचिव

1. यह शासनादेश इत्यन्नामिकती जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasan.uadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-275(1)/सोलह-1-2020-09(बजट-2)/2020 तदृदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकडारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, ३०प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, ३०प्र०, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, ३०प्र० समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, ३०प्र० समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, ३०प्र० शासन।
- (9) वित्त (आय-ट्ययक) अनुभाग-1, ३०प्र० शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), ३०प्र० शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, ३०प्र० शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आजा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकसी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।